# कार्यालय –निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / मा–ब / 22803 / वो–2 / 2016 /                    दिनांकः– 21.08.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक / प्रारम्भिक (प्रथम / द्वितीय)

**विषयः–** 5 सितम्बर – 2016 को जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर "शिक्षक दिवस समारोह" उत्साहपूर्वक एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में ।

**प्रसंगः–** शासन के निर्देश कमांक : प.18(2) शिक्षा–2 / 2016, जयपुर, दिनांक : 11.08.2016 के कम में इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांकः 17.08.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक निर्देशों के क्रम में आगामी 5 सितम्बर– 2016 को जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर "शिक्षक दिवस समारोह" के आयोजन के संबंध में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुवर्तन में शिक्षक पुरस्कार के लिये पात्र शिक्षकों के चयन हेतु सूक्ष्म अंक योजना तथा प्रस्ताव पत्र संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय / ब्लॉक / जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के सुचारू एवं सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करें :–

1. विद्यालय / ब्लॉक / जिला स्तरीय समारोह में शिक्षक सम्मान हेतु चयन की पात्रता के लिये न्यूनतम अध्यापकीय सेवावधि 10 वर्ष (आधार तिथि 30 जून 2016) निर्धारित की जाती है ।
2. प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समारोह में जिले के दो उत्कृष्ट संस्था प्रधान तथा पांच उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है।
3. इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी ब्लॉक के एक उत्कृष्ट संस्था प्रधान तथा तीन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है।
4. शिक्षकों हेतु प्रस्ताव संस्था प्रधान द्वारा संलग्न सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर विद्यालय की वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षक का चयन कर प्रस्ताव ब्लॉक के नोडल संस्था प्रधान को प्रेषित किए जाएंगे।
5. शिक्षकों हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय चयन समिति द्वारा ब्लॉक के समस्त विद्यालयों से संस्था प्रधान द्वारा प्राप्त शिक्षकों के प्रस्तावों की समुचित समीक्षा उपरांत ब्लॉक की वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षक का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा । उक्त चयन समिति द्वारा वस्तुनिष्ठ आधार पर ब्लॉक के सर्वोत्कृष्ट संस्था प्रधान का चयन ब्लॉक स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु किया जायेगा ।
6. ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित शिक्षकों के प्रस्तावों की समुचित समीक्षोपरांत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले के 5 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन जिला स्तरीय सम्मान समारोह हेतु किया जाकर उक्त चयन का अनुमोदन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादक समिति से करवाया जायेगा । इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले के दो सर्वोत्कृष्ट संस्था प्रधानों का वस्तुनिष्ठ आधार पर चयन जिला निष्पादक समिति के अनुमोदनोपरांत जिला स्तरीय सम्मान समारोह हेतु किया जायेगा ।
7. पुरस्कार हेतु चयन में ब्लॉक एवं जिला स्तर पर समन्वय रखा जाए, जिससे कि एक ही नाम का दोहरान न हो तथा वरीयता सूची में आने वाले योग्य शिक्षक पुरस्कार से वंचित न रहे ।

21/8/16

8. **समय सारणी** :–उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही एवं सम्मान समारोह हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है:–

| क्र.सं. | सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही | निर्धारित तिथि |
|---|---|---|
| 1. | संस्था प्रधान द्वारा ब्लॉक स्तरीय चयन समिति को विद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षक का प्रस्ताव प्रेषित करना । | 24.08.16 |
| 2. | ब्लॉक स्तरीय चयन समिति की बैठक का आयोजन एवं ब्लॉक स्तरीय समारोह में पुरस्कार हेतु शिक्षकों एवं संस्था प्रधान का चयन एवं जिला स्तरीय समारोह में पुरस्कार हेतु भेजे जाने वाले ब्लॉक के शिक्षक का चयन एवं प्रस्ताव अग्रेषित करना । | 29.08.16 |
| 3. | जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक का आयोजन व जिला स्तरीय समारोह में पुरस्कार हेतु संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के चयन का अनुमोदन करना । | 31.08.16 |
| 4. | जिला निष्पादक समिति द्वारा ब्लॉक स्तरीय चयन समिति को जिला स्तर पर पुरस्कृत किये जाने वाले संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के चयन की सूचना प्रेषित करना | 01.09.16 |
| 5. | ब्लॉक स्तरीय चयन समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किये जाने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षकों की चयन सूची को अद्यतन कर सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं शिक्षकों को सुचित करना । | 02.09.16 |
| 6. | जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं विद्यालय स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन | 05.09.16 |

संलग्नः–शिक्षक सम्मान हेतु प्रस्ताव पत्र का प्रारूप एवं सूक्ष्म अंक योजना ।

2/8/16

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**प्रतिलिपि**:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर ।
2 आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
3 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5 समस्त जिला कलक्टर ।
6 सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर ।
7 समस्त मण्डल उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) को शासन के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु ।
8 समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
9 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
10 रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

# जिला/ब्लॉक/विद्यालय स्तरीय शिक्षक सम्मान–2016 हेतु चयन के लिए

## सूक्ष्म अंक योजना

| | | |
|---|---|---|
| (1) | **शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)** | **अंक 10** |
| | प्रथम श्रेणी मय विशेष योग्यता (किसी विषय में 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक प्राप्तांक) | अंक 2 |
| | प्रथम श्रेणी | अंक 1.5 |
| | द्वितीय श्रेणी | अंक 1 |
| | तृतीय श्रेणी | अंक 0.5 |

नोट :– कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 2X5=10 है अर्थात (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोत्तर और (5) बी.एड./एस.टी.सी./ डी.पी.एड./ बी.पी.एड./ सी.पी.एड./ शिक्षाशास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग–अलग अंक दिये जाने हैं।

| | | |
|---|---|---|
| (2–A) | **परीक्षा परिणाम (गत 3 वर्षों के गुणात्मक आधार पर)**<br>**(सामान्य शिक्षक हेतु)** | **अंक 30** |
| 1. | 100 प्रतिशत (पचास प्रतिशत से ऊपर विद्यार्थी ने विशेष योग्यता प्राप्त की हो) /प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शत प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त करने पर। | अंक 10 |
| 2. | 100 प्रतिशत (पचास प्रतिशत से ऊपर विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो)/प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 90 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त करने पर। | अंक 8 |
| 3. | 100 प्रतिशत (पचास प्रतिशत या कम विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो)/प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 80 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त करने पर। | अंक 6 |
| 4. | 90 प्रतिशत या अधिक (पचास प्रतिशत से आधिक विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो)/प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 70 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त करने पर। | अंक 4 |
| 5. | 90 प्रतिशत या अधिक (पचास प्रतिशत से कम विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो)/प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 60 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त करने पर। | अंक 2 |

नोट : 3 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट अंक 10x3 = 30 है। शिक्षक द्वारा अध्यापन करवाए गए समस्त विषयों (जिनके अंक श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जाते हैं ) एवं कक्षाओ में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की गणना पश्चात अंक प्रदान किए जाएंगे। शारीरिक शिक्षकों के मामले में परीक्षा परिणाम के स्थान पर अग्रांकित विवरणानुसार विद्यालय के विद्यार्थियों के खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे।

| (2-B) | **विद्यार्थियों का खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन (गत 3 वर्षो के) (शारीरिक शिक्षक हेतु)** | **अंक 30** |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों का चयन होने पर | अंक 10 |
| 2. | राज्य स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को चयन होने पर | अंक 6 |
| 3. | जिला स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को चयन होने पर | अंक 3 |

नोट : 3 वर्षो के अधिकतम क्रेडिट अंक 10x3 = 30 है।

| (3) | **जनसहयोग (गत 3 वर्षों का)** | अंक 10 |
|---|---|---|
| 1. | 3 लाख रूपये से ऊपर | अंक 10 |
| 2. | 1 लाख से ऊपर एवं 3 लाख रूपये तक | अंक 07 |
| 3. | 50 हजार से ऊपर एवं 1लाख रूपये तक | अंक 05 |
| 4. | 10 हजार से एवं 50 हजार रूपये तक | अंक 03 |

**नोट :–**

(1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चुका है, तो उसी जन सहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नही माना जावे।

(2) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन–सहयोग की श्रेणी में नही आते है।

(3) निर्माण कार्य लागत प्रमाणीकरण संस्था प्रधान द्वारा दिया जाएगा।

(4) जन सहयोग से विद्यार्थियों के लिए उपकरण अथवा अन्य उपयोगी सामग्री जुटाने का प्रमाणीकरण भी संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा।

| (4) | **विद्यालय में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव/नामांकन लक्ष्य प्राप्ति में विशिष्ट सहयोग (गत दो वर्ष हेतु)** | **अंक 10** |
|---|---|---|
| | गत दो सत्रों में शिक्षक के पदस्थापित विद्यालय का नामांकन लक्ष्य पूर्ण होने पर शिक्षक द्वारा उक्त हेतु किए गए प्रयासों के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम पांच अंकों मे से गुणावगुण के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। | |
| (5) | **विद्यालय के पर्यावरण विकास एवं सुधार तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में भागीदारी (गत तीन वर्ष)** | **अंक 12** |
| | गत तीन वर्षो में शिक्षक के पदस्थापित विद्यालय में शिक्षक द्वारा उक्त हेतु किए गए प्रयासों के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम **04** अंकों मे से गुणावगुण के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। | |

| | | |
|---|---|---|
| (6) | **शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने हेतु शिक्षक द्वारा किए गए विशिष्ट प्रयास/ नवाचार** | **अंक 4** |
| | संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से प्राप्त पृष्ठपोषण तथा स्वयं द्वारा किए गए कक्षा परिवीक्षण/ अवलोकन में प्रेक्षित वस्तुस्थिति एवं गुणावगुण के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। | |
| 7) | **विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में योगदान** | **अंक 4** |
| | संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक की उक्त गतिविधियों में शिक्षक के वास्तविक योगदान एवं रुचि तथा विद्यार्थियों के प्रति अनुराग, जुड़ाव व लगाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करते हुए गुणावगुण के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। | |

| | | |
|---|---|---|
| (8) | **शिक्षक के व्यक्तित्व की प्रभावशीलता, मानवीय संबंधों की स्थापना, विद्यार्थियों में लोकप्रियता, अभिभावकों में स्वीकार्यता, स्थानीय जनसमुदाय की विद्यालय से जुड़ाव में भूमिका, समय की पाबन्दी व अनुशासन तथा चरित्र की दृढ़ता ।** | **अधिकतम अंक 20** |
| | उक्त बाबत अंक संस्था प्रधान द्वारा एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी. के सदस्यों, अभिभावकों तथा विद्यालय स्टाफ के अन्य सदस्यों से विचार–विमर्श उपरांत गुणावगुण के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। | |

# जिला / ब्लॉक एव विद्यालय स्तरीय शिक्षक सम्मान–2016

**–:सूक्ष्म अंक योजना के तहत शिक्षक मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव पत्रः–**
**(सामान्य अध्यापक / शारीरिक शिक्षक)**

जिला : .......................... ब्लॉक : ..........................................................

(1) शिक्षक का नाम ..........................................................................

(2) पद ..........................................................................

(3) पदस्थापन स्थान ..........................................................................

(4) जन्म तिथि (अंकों में) ..........................................................................
(शब्दों में) ..........................................................................

(5) प्रथम नियुक्ति तिथि ..........................................................................

(6) सेवा विवरण (30.06.2016 तक)
(अ) कुल सेवा अवधि ..........................वर्ष ..........................माह
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि ..........................वर्ष ..........................माह
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधि ..........................वर्ष ..........................माह

**–: सूक्ष्म अंक योजना के तहत शिक्षक का मूल्यांकन :–**

**(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)** **अंक 10**

| क्र0स0 | योग्यता | श्रेणी | विशेष योग्यता का विषय | प्रदत्त अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | माध्यमिक | | | |
| 2 | उच्च माध्यमिक | | | |
| 3 | स्नातक ( ) | | | |
| 4 | स्नातकोत्तर ( ) | | | |
| 5 | प्रशैक्षिक ( ) | | | |
| | **योग** | | | |

**(2–ए) परीक्षा परिणाम (सामान्य शिक्षकों के लिए)**

**अंक 30**

| क्र0स0 | वर्ष | समग्र परीक्षा परिणाम प्रतिशत | विशेष योग्यता प्राप्त / ए–ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिशत | प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिशत | प्रदत्त अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013–2014 | | | | |
| 2 | 2014–2015 | | | | |
| 3 | 2015–2016 | | | | |

# अथवा

(2–बी) विद्यार्थियों का खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन (शारीरिक शिक्षकों के लिए)

अंक 30

| क्र0स0 | सत्र | स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों का संभागित्व (राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तर) | प्रदत्त अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013–2014 | | |
| 2 | 2014–2015 | | |
| 3 | 2015–2016 | | |

(3) जन सहयोग

अंक 10

| क्र0स0 | वर्ष | कार्य / सामग्री विवरण | प्राप्त राशि | प्रदत्त अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013–2014 | | | |
| 2 | 2014–2015 | | | |
| 3 | 2015–2016 | | | |

(4) विद्यालय में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव / नामांकन लक्ष्य प्राप्ति में विशिष्ट सहयोग (गत दो वर्ष हेतु)

अंक 10

| | सत्र | विद्यालय को प्रदत्त नामांकन लक्ष्य | विद्यालय का सत्र में वास्तविक नामांकन | प्रदत्त अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014–15 | | | |
| 2 | 2015–16 | | | |

(5)विद्यालय के पर्यावरण विकास एवं सुधार तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में भागीदारी (गत तीन वष हेतु)

अंक 12

| | सत्र | गतिविधि | भागीदारी का विवरण | प्रदत्त अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013–14 | | | |
| 2 | 2014–15 | | | |
| 3 | 2015–16 | | | |

(6)शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने हेतु शिक्षक द्वारा किए गए विशिष्ट प्रयास / नवाचार

अंक 04

| शिक्षक द्वारा किये गये विशिष्ट प्रयास / नवाचार का संक्षिप्त विवरण | प्रदत्त अंक |
|---|---|
| | |

(7)विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में योगदान

अंक 04

| संक्षिप्त विवरण | प्रदत्त अंक |
|---|---|
| | |

(8) शिक्षक के व्यक्तित्व की प्रभावशीलता, मानवीय संबंधों की स्थापना, विद्यार्थियों में लोकप्रियता, अभिभावकों में स्वीकार्यता, स्थानीय जनसमुदाय की विद्यालय से जुड़ाव में भूमिका, समय की पाबन्दी, अनुशासन तथा चरित्र की दृढ़ता ।

अंक 20

| संस्था प्रधान द्वारा समग्र मूल्यांकन एवं अनुशंसा | प्रदत्त अंक |
|---|---|
| | |

(9) प्राप्त अंको का समग्र योग (अधिकतम अंक 100 में से ):—

(10) —: प्रमाण पत्र:—

यह प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक सम्मान हेतु प्रस्तावित श्री/श्रीमती/सुश्री ......................................पद.......................................... के विरूद्ध आज दिनांक तक अभिलेखानुसार किसी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही लम्बित नहीं है तथा न ही पूर्व में सेवाकाल के दौरान किसी प्रकार की दण्डनीय कार्यवाही की गई है ।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय नाम व मुहर

दिनांक:—